निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 आषाढ़ 1938 (श0)

(सं0 पटना 570) पटना, शुक्रवार, 8 जुलाई 2016

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

15 जून 2016

सं0 22/नि0सि0(भाग0)–09–03/2008/1105—श्री महेन्द्र प्रसाद सिंह (आई0 डी0 क्रमांक जे0–3167), तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल, तारापुर को इनके उक्त पदस्थापन काल वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 में बदुआ जलाशय योजना के नहर पुनर्स्थापन कार्य में नहर बॅाध पर मिट्टी भराई कार्य का ड्रेसिंग एवं लेवलिंग नहीं कराने जबकि कार्य समाप्ति पर था, मिट्टी कार्य का ड्रेसिंग एवं लेवलिंग नहीं कराने के कारण बॅाध का रूपांकित सेक्शन का आकलन करना जॅाच पदाधिकारी द्वारा संभव नहीं हो पाने, फिर भी बदुआ शाखा नहर, खैराती खॅा वितरणी एवं खैराती खॅा उप वितरणी के मिट्टी कार्य में 5 (पॅाच) से 7 (सात) प्रतिशत की कमी का दोषी पाते हुए इनके विरूद्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक 896 दिनांक 07.11.08 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया।

उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन के दौरान यह ज्ञात होने पर कि श्री महेन्द्र प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल, तारापुर दिनांक 31.10.08 को सेवानिवृत हो चुॅके है उनके विरूद्व पूर्व संचालित विभागीय कार्यवाही को विभागीय आदेश सं0–07 सह पठित ज्ञापांक 64 दिनांक 13.02.09 द्वारा बिहार पेंशंन नियमावली के नियम 43 (बी0) के तहत सम्परिवर्तित किया गया।

विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 1045 दिनांक 30.09.14 द्वारा समर्पित जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर किये जाने के उपरान्त पाया गया कि विभागीय कार्यवाही के जॅाच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी द्वारा निष्कर्ष के तौर पर निम्न मंतव्य दिया गया है:–

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 1610 दिनांक 27.11.08, पत्रांक 1713 दिनांक 29.12.08, पत्रांक 411 दिनांक 25.04.09 एवं पत्रांक 462 दिनांक 21.05.09 द्वारा श्री महेन्द्र प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल, तारापुर, मुंगेर सम्प्रति सेवानिवृत को बदुआ बॅाया शाखा नहर, खैराती खॅा वितरणी एवं खैराती खॅा उप वितरणी के मिट्टी कार्य में बरती गई अनियमितता के आरोप के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु अनुरोध किया गया था। परन्तु वे किसी भी तिथि को अपना बचाव बयान देने के लिए उपस्थित नहीं हुए। अतः विवश होकर संचालन पदाधिकारी द्वारा एक पक्षीय निर्णय लेते हुए उपलब्ध अभिलेखों यथा अधीक्षण अभियन्ता, उड़नदस्ता अंचल, जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक उद0–029/2007–01 दिनांक 09.01.08 के आधार पर श्री महेन्द्र प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल, तारापुर सम्प्रति सेवानिवृत पर आरोप वर्ष 2005–06 एवं 2006–07 के लिए बदुआ बायॅा शाखा नहर, खैराती खॅा वितरणी एवं खैराती खॅा उप वितरणी के मिट्टी कार्य में 5 (पाँच) से 7 (सात) प्रतिशत की कमी अर्थात् में 5 (पाँच) से 7 (सात) प्रतिशत का अधिक भुगतान का आरोप प्रमाणित माना है।

उक्त पाये गये तथ्यों के आलोक में सरकार के स्तर पर लिए गये निर्णय के अनुसार विभागीय पत्रांक 1969 दिनांक 16.12.14 द्वारा श्री महेन्द्र प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल, तारापुर सम्प्रति सेवानिवृत से बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी0) के तहत द्वितीय कारण पृच्छा किया गया।

विभागीय पत्रांक 1969 दिनांक 16.12.14 के आलोक में श्री महेन्द्र प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल, तारापुर सम्प्रति सेवानिवृत द्वारा समर्पित प्रत्युत्तर, दिनांक 23.06.15 में निम्नांकित तथ्यों को समर्पित किया गया हैः–

अस्वस्थता के कारण प्रमण्डल से संबंधित अभिलेख प्राप्त नहीं कर सका। संबंधित कनीय अभियन्ताओं द्वारा प्रमण्डल से सम्पर्क करने के बावजूद अभिलेख उपलब्ध नहीं होने पर अभिलेख के अभाव में जवाब निम्नवत् हैः–

(i) बदुआ शाखा नहर, चेन सं0–0 से 444 इनके कार्यक्षेत्र में नहीं है। इस नहर के कार्य का पर्यवेक्षण एवं मापी श्री विष्णुदेव प्रसाद यादव, तत्कालीन अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, सिंचाई अवर प्रमण्डल, बेलहर शि0–तारापुर एवं श्री हरिदेव तांती, तत्कालीन कनीय अभियन्ता द्वारा की गयी है जिसकी सम्पुष्टि कार्यपालक अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल, तारापुर से की जा सकती है।

(ii) खैराती खॉ वितरणी चेन सं0–0 से 270 एवं खैराती खॉ उप वितरणी चेन सं0–0 से 410 आरोपित पदाधिकारी के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत है एवं संबंधित कनीय अभियन्ता क्रमशः श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह तथा श्री अशोक कुमार शर्मा हैं।

उक्त नहर का पुनर्स्थापन कार्य वर्ष 2005–06 में शुरू किया गया एवं उड़नदस्ता जाँच दिनांक 28.06.07 को की गयी तथा भुगतित मात्रा में क्रमशः 6.43 प्रतिशत तथा 5.81 प्रतिशत की कमी पायी गयी। कार्य चालू अवस्था में एवं मिट्टी कार्य से संबंधित था तथा जाँच कार्य एक वर्ष तीन माह बाद की गयी। उड़नदस्ता द्वारा दिये गये मौखिक निदेश के अनुपालन में कार्य रूपांकित सेक्शन एवं ड्रेसिंग तथा लेवलिंग करा दिया गया था। इसकी जाँच तत्कालीन अधीक्षण अभियंता द्वारा की गयी थी। कराये गये मिट्टी कार्य की गणना एक वर्ष बाद करने पर उड़नदस्ता के मानक के अनुसार सात प्रतिशत अंतर होने का प्रावधान है। अतः जाँच में पायी गयी कमी मानक के सही प्रतीत होता है।

कार्य का भुगतान चालू विपत्र से करने जो अंतिम मापी होने पर स्वतः समायोजित हो जाती है तथा इससे सरकार को कोई क्षति नहीं होने का भी तथ्य दिया गया है।

श्री महेन्द्र प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल, तारापुर सम्प्रति सेवानिवृत द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के उपर्युक्त तथ्यों की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरान्त निम्न तथ्य पाये गयेः–

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 1045 दिनांक 30.09.14 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि संचालन पदाधिकारी के अनुरोध के बावजूद आरोपित पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही में न कभी उपस्थित हुए और न ही मौखिक/लिखित अपना पक्ष रखा गया जिससे इनके द्वारा विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से सहयोग नहीं करने का बोध होता है।

उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन पर आधारित आरोप के संबंध में आरोपित पदाधिकारी श्री सिंह का कहना है कि बदुआ बायाँ शाखा नहर का कार्य उनके कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत नहीं है एवं इस नहर के कार्य का पर्यवेक्षण एवं मापी के लिए श्री विष्णुदेव प्रसाद यादव, तत्कालीन अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, सिंचाई अवर प्रमण्डल, बेलहर शिविर–तारापुर एवं श्री हरिदेव तांती, तत्कालीन कनीय अभियंता जवाबदेह हैं परन्तु तत्संबंधी कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है। साथ ही कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, तारापुर से सम्पुष्टि प्राप्त करने का भी उल्लेख किया गया है परन्तु जाँच प्रतिवेदन में इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं है और न ही उड़नदस्ता द्वारा कार्य संबंधित पदाधिकारियों की सूची में श्री यादव एवं श्री तांती का उल्लेख है।

आरोपित पदाधिकारी श्री महेन्द्र प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता सम्प्रति सेवानिवृत द्वारा बयान में मात्र खैराती खाँ वितरणी एवं खैराती खाँ उप वितरणी के मिट्टी कार्य के पर्यवेक्षण एवं मापी में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया गया है परन्तु बदुआ बायाँ शाखा नहर के कार्य के बारहवें चालू विपत्र, जिससे 244.22 लाख (दो करोड़ चौवालीस लाख बाईस हजार) रूपये का भुगतान हुआ एवं विपत्र की राशि 9,57,895 (नौ लाख संतान्वें हजार आठ सौ पन्चान्वे) रूपये है, आरोपित पदाधिकारी श्री सिंह एवं दोनों आरोपित कनीय अभियंतों द्वारा हस्ताक्षरित है।

आरोपित पदाधिकारी श्री सिंह का कहना है कि वर्ष 2005–06 में कराये गये कार्य के एक वर्ष तीन माह बाद दिनांक 28.06.07 को उड़नदस्ता द्वारा जाँच की गयी परन्तु बारहवें चालू विपत्र दिनांक 08.06.07 को आरोपित सहायक अभियंता श्री सिंह के साथ दोनों आरोपित कनीय अभियंता द्वारा हस्ताक्षरित है।

आरोपित पदाधिकारी, श्री सिंह का कहना है कि उड़नदस्ता जाँच दल के मौखिक निदेश के आलोक में रूपांकित सेक्शन में मिट्टी कार्य और ड्रेसिंग तथा लेवलिंग का कार्य करा दिया गया था जिसकी जाँच तत्कालीन अधीक्षण अभियंता द्वारा की गयी थी परन्तु अपने कथन के समर्थन में न कोई साक्ष्य आरोपित पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया गया और न जाँच प्रतिवेदन में ही संदर्भित उल्लेख/साक्ष्य मिलता है।

आरोपित पदाधिकारी श्री सिंह का कहना है कि चालू विपत्र से भुगतान किया गया है जिसका समायोजन अंतिम विपत्र से स्वयं हो जायेगा एवं राजस्व की हानि नहीं होगी परन्तु तथ्य यह है कि कार्य के दौरान ही उड़नदस्ता जाँच दल द्वारा मिट्टी कार्य में पाँच से सात प्रतिशत अधिक भुगतान पाया गया है जिससे संवेदक को लाभ पहुँचाने की आरोपित पदाधिकारी की मंशा परिलक्षित होता है।

आरोपित पदाधिकारी का यह कहना भी है कि खैराती खाँ वितरणी एवं खैराती खाँ उप वितरणी में जाँचित मिट्टी की मात्रा क्रमशः 6.43 प्रतिशत एवं 5.81 प्रतिशत कम पायी गयी है जो एक वर्ष बाद गणना करने पर

उड़नदस्ता के मानक सात प्रतिशत से कम है परन्तु आरोपित पदाधिकारी द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है और न ही उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन में इसका उल्लेख है और न इस तरह का प्रचारित पत्र का उल्लेख है।

उपर्युक्त तथ्यों से उड़नदस्ता जॉच प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेख नहीं रहने एवं आरोपित पदाधिकारी द्वारा भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने के परिपेक्ष्य में जॉचित तीनों नहरों से संबंधित पदाधिकारी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है परन्तु आरोपित पदाधिकारी श्री सिंह द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर में स्वीकार किये गये नहरों यथा खैराती खाँ वितरणी एवं खैराती खाँ उप वितरणी में भी उड़नदस्ता जॉच में मिट्टी कार्य में क्रमशः 6.43 प्रतिशत एवं 5.81 प्रतिशत की अधिकाई भुगतान जॉच के समय पाया गया है तथा बदुआ शाखा नहर के मिट्टी कार्य में 7.02 प्रतिशत अधिकाई भुगतान जॉच के समय पाया गया है।

उपर्युक्त पाये गये तथ्यों के आलोक में श्री महेन्द्र प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल, तारापुर सम्प्रति सेवानिवृत का द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है एवं खैराती खाँ वितरणी तथा खैराती खाँ उप वितरणी के मिट्टी कार्य में 25.15 रूपये प्रति धनमीटर की दर एवं 1.5 प्रतिशत की कटौती के उपरान्त क्रमशः 6524.00 (छः हजार पॉच सौ चौबीस रूपये) तथा 16093.41 (सोलह हजार तेरानवे रूपये इकतालीस पैसे) अधिकाई भुगतान के लिए ये दोषी पाये गये है, जिसकी तत्समय क्षति हुई।

उपर्युक्त प्रमाणित आरोप के लिए सरकार के स्तर पर श्री महेन्द्र प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल, तारापुर सम्प्रति सेवानिवृत को निम्नांकित दण्ड देने का निर्णय लिया गया हैः–

''पॉच प्रतिशत पेंशन पर दो वर्षो तक रोक''।

उक्त निर्णीत दण्ड पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त है।

सरकार के स्तर पर लिए गये उक्त निर्णय के आलोक में श्री महेन्द्र प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल, तारापुर सम्प्रति सेवानिवृत को निम्न दण्ड देते हुए संसूचित किया जाता हैः–

''पॉच प्रतिशत पेंशन पर दो वर्षो तक रोक''।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
श्यामानन्द झा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 570-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in